



बिहार विधान परिषद्

संख्या-3

कार्य सूची

213वां सत्र

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026

12.00 बजे मध्याह्न

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित प्रश्न
2. तारांकित प्रश्न

औपचारिक कार्य

3. सचिव, विधेयक संबंधी संदेश, यदि कोई हो, पढ़ेंगे।
4. सचिव, विधान सभा से स्वीकृत विधेयक, यदि कोई हो, मेज पर रखेंगे।

परिनियत कार्य

5. प्रभारी मंत्री, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
6. प्रभारी मंत्री, बिहार स्टेट पावर होलिंग कम्पनी लि० के वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।
7. प्रभारी मंत्री, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

ध्यानाकर्षण

8. डॉ० संजीव कुमार सिंह, राज्य में विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में CAG रिपोर्ट में उजागर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विरुद्ध दोषी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
9. श्री सौरभ कुमार, पश्चिम चम्पारण जिला के नगर निकायों में सैरात बंदोबस्ती में अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
10. श्री नीरज कुमार, राज्य के टोपोलैंड, बकाशत एवं गैरमजरूआ मालिक भूमि के दाखिल-खारिज, जमाबंदी एवं लगान रसीद से संबंधित रैयतों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
11. डॉ० सुनील कुमार सिंह एवं अन्य 05 (पाँच) माननीय सदस्यगण, राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पैक्स की बकाया सी०एम०आर० (CMR) राशि के अविलम्ब भुगतान एवं अतिरिक्त ब्याज भार वहन करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
12. श्री अनिल कुमार, पटना नगर निगम, बांकीपुर प्रमंडल अंतर्गत वार्ड सं०- 43 में मैकडॉवेल गोलम्बर के निकट प्रस्तावित जी+1 वेंडिंग जोन के निर्माण पर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
13. श्रीमती रीना देवी, नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड सं०-23 स्थित हॉज-ए-बब्बर तालाब के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं शेष भू-भाग पर पार्क का निर्माण कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगी।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026

14. श्री सम्राट चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 पर विचार हो
15. श्री सम्राट चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 पारित हो

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

16. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो
17. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026

18. डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 पर विचार हो
19. डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 पारित हो

बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026

20. डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो
21. डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026

22. श्री निशांत, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो
23. श्री निशांत, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो

बिहार नर्सैज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026

24. श्री निशांत, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नर्सैज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो
25. श्री निशांत, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार नर्सैज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026

26. श्री संजय कुमार, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो
27. श्री संजय कुमार, माननीय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सभा द्वारा यथापारित बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो
28. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य, यदि कोई हो।


(शंकर कुमार)

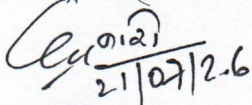
प्रभारी सचिव

बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.वि.- 49/2026 – 1036 (3) / वि.प.।

दिनांक – 21.07.2026

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय / मुख्यमंत्री सचिवालय (चार प्रतियों में) / माननीय राज्यपाल, बिहार के सचिव / माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय एवं बिहार विधान सभा स्थित कार्यालय वेश्म / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / लोकायुक्त, बिहार / महाधिवक्ता, बिहार / बिहार सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी राज्यों के विधान मंडलों के सचिव / लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली / पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली / बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार / अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना / समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना / जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं प्रभारी, नेवा सेल, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ज्ञान प्रकाश)

निदेशक

बिहार विधान परिषद्



فہرست امور

۲۱۳ واں اجلاس

بہار قانون ساز کاؤنسل

شمارہ-۳

بدھ، مورخہ ۲۲ جولائی، ۲۰۲۶

۱۲ بجے دن

سوال و جواب

۱. مختصر میعادى سوال

۲. علامتى سوال

رسمى امور

۳. سکریٹری، بل سے متعلق پیغام، اگر کوئی ہو، پڑھیں گے۔

۴. سکریٹری، قانون ساز اسمبلی سے منظور بل، اگر کوئی ہو، میز پر رکھیں گے۔

ضابطے کے تحت کارروائی

۵. انچارج وزیر، بہار اسٹیٹ پل کنسٹرکشن کارپوریشن لمیٹیڈ، پٹنہ کے مالی سال ۲۳-۲۰۲۲ اور ۲۳-۲۰۲۳ کی سالانہ رپورٹ کی ایک ایک کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۶. انچارج وزیر، بہار اسٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی لمیٹیڈ کے مالی سال ۲۱-۲۰۲۰ کی سالانہ رپورٹ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

۷. انچارج وزیر، بہار اسٹیٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن کے مالی سال ۱۷-۲۰۱۶ سے ۱۸-۲۰۱۷ تک کی سالانہ رپورٹ کی کاپی ایوان کی میز پر رکھیں گے۔

توجہ طلب اطلاع

۸. ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ، ریاست میں محکمہ اسکولی تعلیم و اعلیٰ تعلیم میں CAG رپورٹ میں اجاگر بدعنوانی و بے ضابطگیوں کے خلاف قصور وار افسران پر قانونی کارروائی کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
۹. جناب سوربھ کمار، مغربی چمپارن ضلع کے شہری یونٹوں میں سیرات بندوبستی میں بے ضابطگی کی اعلیٰ سطحی جانچ و شفاف نظام نافذ کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
۱۰. جناب نیرج کمار، ریاست کے ٹوپولینڈ، بکاشت و غیر مزرعہ مالک زمین کے داخل خارج، جمع بندی اور لگان رسید سے متعلق رعیتوں کے مسائل کے انسداد کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
۱۱. ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ و دیگر پانچ (۵) معزز اراکین، ریاست میں خریف مارکیٹنگ سال ۲۶-۲۰۲۵ میں پیکس کی بقیہ سی ایم آر (CMR) رقم کی فوراً ادائیگی اور اضافی سودی بوجھ برداشت کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
۱۲. جناب اٹل کمار، پٹنہ میونسپل کارپوریشن، بانگی پور ڈویژن کے تحت وارڈ نمبر-۴۳ میں میک ڈوول گولبر کے قریب مجوزہ G+1 وینڈنگ زون کی تعمیر پر پھر سے غور کیے جانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔
۱۳. محترمہ رینادیوی، نالندہ ضلع کے تحت بہار شریف میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر-۲۳ واقع حوض بہر تالاب کی مرمت، حسن کاری و بقیہ خطے اراضی پر پارک کی تعمیر کرانے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گی۔

قانونی امور

سرکاری بل

بہار جوا (پابندی) بل، ۲۰۲۶

۱۴. جناب سمرات چودھری، معزز وزیر اعلیٰ، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار جوا (پابندی) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔
۱۵. جناب سمرات چودھری، معزز وزیر اعلیٰ، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار جوا (پابندی) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

بہار مال و سروس ٹیکس (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

۱۶. جناب وینکندر پرساد یادو، معزز ڈپٹی وزیر اعلیٰ (مالیات)، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار مال و سروس ٹیکس (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔
۱۷. جناب وینکندر پرساد یادو، معزز ڈپٹی وزیر اعلیٰ (مالیات)، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار مال و سروس ٹیکس (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

بہار زرعی زمین (غیر زرعی امور کے لیے تبدیلی) (تسلیخ) بل، ۲۰۲۶

۱۸. ڈاکٹر دلپ کمار جائیسوال، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار زرعی زمین (غیر زرعی امور کے لیے تبدیلی) (تسلیخ) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

۱۹. ڈاکٹر دلپ کمار جائیسوال، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار زرعی زمین (غیر زرعی امور کے لیے تبدیلی) (منسوخ) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

بہار زمین داخل خارج (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

۲۰. ڈاکٹر دلپ کمار جائیسوال، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار زمین داخل خارج (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

۲۱. ڈاکٹر دلپ کمار جائیسوال، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار زمین داخل خارج (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

بہار میڈیکل (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

۲۲. جناب نشانت، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار میڈیکل (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

۲۳. جناب نشانت، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار میڈیکل (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

بہار فرسینز رجسٹریشن (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

۲۴. جناب نشانت، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار فرسینز رجسٹریشن (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

۲۵. جناب نشانت، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار فرسینز رجسٹریشن (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

بہار چینی انٹرپرائزیز (تحویل) (ترمیم) بل، ۲۰۲۶

۲۶. جناب سنجے کمار، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار چینی انٹرپرائزیز (تحویل) (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پر غور ہو۔

۲۷. جناب سنجے کمار، معزز وزیر، تجویز پیش کریں گے کہ اسمبلی کے ذریعہ پاس بہار چینی انٹرپرائزیز (تحویل) (ترمیم) بل، ۲۰۲۶ پاس ہو۔

۲۸. دیگر انتہائی ضروری امر، اگر کوئی ہو۔

۲۱.۰۷.۲۰۲۶
(شکر کمار)

انچارج سکریٹری
بہار قانون ساز کاؤنسل

21.07.2026

مکتوب نمبر- 49/2026-1036(3)

بالف
۲۱.۰۷.۲۰۲۶

ترجمہ کردہ : اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ

(نسرین بانو)

سیکشن افسر

اردو شعبہ، بہار قانون ساز کاؤنسل



बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

ध्यानाकर्षण
213वां सत्र

राज्य के शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अनेक ऐसे पदाधिकारी, जिन पर वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग एवं अन्य गंभीर आरोप लगभग प्रमाणित हैं तथा जिनके विरुद्ध विभागीय जांच / प्राथमिकी लंबित है, उनसे न केवल वित्तीय प्रकृति के महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं बल्कि उन्हें पुरस्कारस्वरूप और अधिक महत्वपूर्ण / संवेदनशील पदों पर सचिवालय एवं निदेशालय के साथ-साथ जिला मुख्यालय में पदस्थापित भी किया जा रहा है। महालेखाकार, बिहार द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में जिन विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएं एवं लोकधन के दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है, उन विश्वविद्यालयों के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कर तथा बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत लोकधन की वसूली की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रारंभ नहीं की गई है। विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग में CAG द्वारा गंभीर आरोपित तथा अनियमितताओं के दोषी पाए गए पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अपेक्षित है। ऐसे सभी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वित्तीय कार्यों से पृथक किया जाना चाहिए तथा गंभीर आरोप सिद्ध होने तक उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण अथवा संवेदनशील पद पर पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यदि वर्तमान सेवा नियमावली में ऐसा प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो इस संबंध में आवश्यक कानूनी एवं नीतिगत प्रावधान शीघ्र लागू किये जाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

डॉ० संजीव कुमार सिंह
स०वि०प०

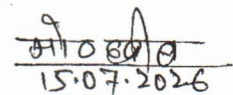
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-188/2026-1848(1)वि०प०।

दिनांक:-15.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ उच्च शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-22.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


15.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ریاست کے محکمہ تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے تحت کام کرنے والے متعدد ایسے افسران، جن پر مالی بے ضابطگی، بدعنوانی، عہدہ کے ناجائز استعمال اور دیگر سنگین الزامات تقریباً ثابت ہو چکے ہیں نیز جن کے خلاف محکمہ جاتی تحقیقات / ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ (FIR) زیر التوا ہے، ان سے نہ صرف مالی نوعیت کے اہم امور کرائے جارہے ہیں بلکہ انہیں بطور انعام مزید اہم اور حساس عہدوں پر سیکرٹریٹ، ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ ساتھ ضلع صدر دفتر میں تعینات بھی کیا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹس جنرل، بہار کی جانب سے پیش کردہ آڈٹ رپورٹس میں جن یونیورسٹیوں میں مالی بے ضابطگیوں اور پبلک فنڈ کے ناجائز استعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان یونیورسٹیوں کے قصور وار افسران کے خلاف انڈین جوڈیشل کوڈ کے متعلقہ دفعات کے تحت فوجداری مقدمات درج کرنے اور بہار عوامی مطالبات وصولی ایکٹ کے تحت پبلک فنڈ کی وصولی کی کارروائی ریاستی حکومت کی جانب سے ابھی تک شروع نہیں کی گئی ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم اور محکمہ اعلیٰ تعلیم میں CAG کی جانب سے سنگین الزامات اور بے ضابطگیوں کے قصور وار پائے گئے افسران کے خلاف مؤثر کارروائی متوقع ہے۔ ایسے تمام افسران کو فوری طور پر مالی امور سے الگ کیا جانا چاہیے اور سنگین الزامات ثابت ہونے تک انہیں کسی بھی اہم یا حساس عہدے پر تعینات نہیں کیا جانا چاہیے۔

لہذا، مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں اگر موجودہ ضابطہ نامہ میں ایسا نظم موجود نہیں ہے تو اس سلسلے میں ضروری قانونی اور پالیسی سطح کے اقدامات فوری طور لاگو کیے جانے کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 15.07.2026

مکتوب نمبر: 188/2026-1848(1)

معزز رکن، مورخہ 22.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

صحیح حبیب
14.7.26
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

ध्यानाकर्षण
213वां सत्र

पश्चिम चंपारण जिला के नगर निकायों के अधीन संचालित विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती विभागीय नियमों, निविदा की शर्तों एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं की जा रही है तथा बिना विधिवत स्थल चयन, सीमांकन एवं अधिसूचना के ही बंदोबस्तधारियों द्वारा आम जनता से शुल्क की वसूली की जा रही है। विभागीय निविदा शर्तों के अनुसार बंदोबस्ती की राशि बैंकिंग माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है, किन्तु पश्चिम चंपारण जिला में कई मामलों में निविदा राशि नकद (कैश) के रूप में स्वीकार की गई है, जो वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों के प्रतिकूल है।

अतः इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा भविष्य में सैरात बंदोबस्ती की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शी एवं नियमसम्मत बनाने के लिए समयबद्ध व्यवस्था लागू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

सौरभ कुमार

स० वि० प०

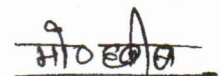
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-189/2026-1850(1)वि०प०।

दिनांक:-15.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-22.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


15.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

مغربی چمپارن ضلع کے شہری یونٹوں کے تحت چلنے والی مختلف سیراتوں کی بندوبستی محکمہ جاتی قواعد، ٹینڈر کے شرائط اور بہار میونسپل ایکٹ کے ضوابط کے مطابق انجام نہیں دی جا رہی ہیں۔ نیز، مقام کے باقاعدہ انتخاب، حد بندی اور نوٹیفیکیشن کے بغیر ہی بندوبست یافتگان کی جانب سے عوام سے فیس وصول کی جا رہی ہے۔ محکمہ جاتی ٹینڈر کے شرائط کے مطابق بندوبستی رقم کا بینکنگ کے ذریعے جمع کیا جانا لازمی ہے، تاہم مغربی چمپارن ضلع میں متعدد معاملات میں ٹینڈر کی رقم نقد (کیش) کی صورت میں قبول کی گئی ہے، جو مالیاتی ضوابط اور محکمہ جاتی ہدایات کے منافی ہے۔

لہذا، اس معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرا کر قصور و افسران و متعلقہ ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کرنے اور آئندہ سیرات بندوبستی کے عمل کو مکمل طور پر آن لائن، شفاف اور قواعد و ضوابط کے مطابق بنانے کے لیے بروقت نظام نافذ کرنے کے سلسلے میں حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

سوربھ کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 15.07.2026

مکتوب نمبر: 189/2026-1850(1)

معزز رکن، مورخہ 22.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

صحیح حبیب
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

ध्यानाकर्षण
213वां सत्र

बिहार में बड़ी संख्या में ऐसी असर्वेक्षित (टोपोलैंड), बकाशत एवं गैरमजरुआ मालिक भूमि है, जिस पर रैयत जमींदारी उन्मूलन से पूर्व से ही काबिज हैं तथा अनेक मामलों में वर्षों से लगान रसीद भी निर्गत होती रही है। इसके बावजूद विभाग द्वारा स्पष्ट नीति एवं एकरूप दिशा-निर्देश के अभाव में दाखिल-खारिज, जमाबंदी, रैयतीकरण तथा लगान रसीद से संबंधित मामलों में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। विभाग के संकल्प संख्या 925(6), दिनांक 11.11.2014 में बकाशत भूमि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद, जिन रैयतों की वर्षों से लगान रसीद निर्गत हो रही है, उन्हें भी भूमि की खरीद-बिक्री के बाद रैयतीकरण कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है तथा ऐसा नहीं करने पर दाखिल-खारिज के आवेदन अस्वीकृत किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, गैरमजरुआ मालिक भूमि की वर्षों पुरानी जमाबंदियों को भी सरकारी भूमि बताकर रद्द करने अथवा लगान रसीद निर्गत करना बंद करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है, जो माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की भावना के भी प्रतिकूल प्रतीत होती है। साथ ही, रैयतों से जमींदारी रिटर्न जैसे ऐसे अभिलेख मांगे जा रहे हैं, जो स्वयं सरकारी अभिलेखागार में भी उपलब्ध नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि टोपोलैंड के संबंध में विभाग द्वारा वर्ष 2022 में तथा बकाशत एवं गैरमजरुआ मालिक भूमि से संबंधित मामलों के समाधान हेतु पत्रांक-104, दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसाओं एवं अंतिम निर्णय के संबंध में कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक नहीं की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

नीरज कुमार

स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-190/2026-1851(1)वि०प०।

दिनांक:-15.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-22.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(मो० हबीब)
15.07.2026
(मो० हबीब)

अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

بہار میں بڑی تعداد میں ایسی غیر سروے شدہ (ٹوپولینڈ)، بکاشت اور غیر مزروعہ مالک زمین ہے، جس پر رعیت زمینداری کے خاتمے سے قبل سے ہی قابض ہیں اور متعدد معاملات میں برسوں سے لگان کی رسیدیں بھی جاری ہوتی رہی ہیں۔ اس کے باوجود محکمہ کی جانب سے واضح پالیسی اور یکساں ہدایات کے فقدان کے باعث داخلی خارج، جمع بندی، رعیتی کاری اور لگان رسید سے متعلق معاملات میں تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ محکمہ کے مکتوب نمبر (6) 925، مورخہ 11 نومبر 2014 میں بکاشت اراضی کے حوالے سے واضح نظم ہونے کے باوجود، جن رعیتوں کی برسوں سے لگان کی رسیدیں جاری ہو رہی ہیں، انہیں بھی اراضی کی خرید و فروخت کے بعد رعیتی کاری کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور ایسا نہیں کرنے پر داخلی خارج کی درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب، غیر مزروعہ مالک اراضی کی برسوں پرانی جمع بندیوں کو بھی سرکاری زمین قرار دے کر رد کرنے یا لگان کی رسیدوں کے اجراء کو روکنے کی شکایات مسلسل موصول ہو رہی ہیں، جو آئین ہائی کورٹ کے متعدد فیصلوں کے جذبے کے بھی خلاف محسوس ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ رعیتوں سے زمینداری ریٹرن جیسے ریکارڈ طلب کیے جا رہے ہیں، جو خود سرکاری ریکارڈ روم میں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ٹوپولینڈ سے متعلق محکمہ کی جانب سے سال 2022 میں اور بکاشت وغیرہ مزروعہ مالک اراضی سے متعلق معاملات کے حل کے لیے مکتوب نمبر 104، مورخہ 12 فروری 2026 کے توسط سے اعلیٰ سطحی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں جن کی سفارشات اور حتمی فیصلوں کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی عوامی سطح پر جاری نہیں کی گئی ہے۔

لہذا، مذکورہ بالا موضوع پر حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

نیرج کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 15.07.2026

مکتوب نمبر: 190/2026-1851(1)

معزز رکن، مورخہ 22.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب
14.7.26
(محمد حبیب)

انڈسٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

ध्यानाकर्षण
213वां सत्र

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सहकारिता विभाग एवं खाद्य विभाग के समन्वय से 6902 पैक्सों / व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से धान की अधिप्राप्ति कराई गई। सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 5,40,468 किसानों से कुल 36,78,954.88 मीट्रिक टन धान खरीद की गई है। उक्त अधिप्राप्ति किये गये धान से पैक्सों द्वारा मिलरों के माध्यम से कस्टम मिलिंग (CMR) करारकर 22,13,917.75 मीट्रिक टन चावल बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। परंतु खेद का विषय है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों को चावल के बदले कुल देय राशि 8159.18 करोड़ में से मात्र 5676.26 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है। 2482.92 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार सी.एम.आर. गिरने के चार दिनों के अंदर भुगतान किया जाना है। भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के लगभग 70 प्रतिशत पैक्स गंभीर वित्तीय संकट में आ चुके हैं एवं डिफाल्टर होने की स्थिति में पहुँच गए हैं। विदित हो कि पैक्सों को मात्र 2 महीनों की ब्याज की राशि निगम द्वारा दी जाती है।

अतः पैक्सों पर पड़ रहे अतिरिक्त ब्याज भार एवं शुद्ध कटौती की राशि वहन करते हुए पैक्सों का कुल बकाया लगभग 2484 करोड़ रुपये के अविलम्ब भुगतान हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/- डॉ० सुनील कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- कार्तिक कुमार, स०वि०प०

ह०/- मो० सोहैब, स०वि०प०

ह०/- महेश्वर सिंह, स०वि०प०

ह०/- अजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ह०/- प्रो० संजय कुमार सिंह, स०वि०प०

ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-191/2026-1852(1)वि०प०।

दिनांक:-15.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ सहकारिता विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-22.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

मो० हबीब
15.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

ریاست میں خریف مارکیٹنگ سال 2025-26 کے دوران کوآپریٹیو ڈیپارٹمنٹ اور محکمہ خوراک کے باہمی اشتراک سے 6902 ٹیکس رجسٹرڈ منڈیوں کے ذریعے کسانوں سے دھان کی حصولیابی کی گئی۔ کوآپریٹیو ڈیپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ریاست کے 5,40,468 کسانوں سے کل 36,78,954.88 میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی گئی ہے۔ مذکورہ خرید شدہ دھان سے ٹیکس کے ذریعے ملروں کے ذریعے کسٹم ملنگ (CMR) کرا کر 22,13,917.75 میٹرک ٹن چاول بہار اسٹیٹ فوڈ کارپوریشن کو فراہم کرایا جا چکا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسٹیٹ فوڈ کارپوریشن کے ذریعے ٹیکسوں کو چاول کے عوض کل واجب الادا رقم 8159.18 کروڑ روپے میں سے صرف 5676.26 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ 2482.92 کروڑ روپے کی ادائیگی ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ قانون کے مطابق سی۔ ایم۔ آر۔ موصول ہونے کے چار دن کے اندر ادائیگی کی جانی ہے۔ ادائیگی نہیں ہونے کی وجہ سے ریاست کے تقریباً 70 فیصد ٹیکس شدید مالی بحران کا شکار ہو چکے ہیں اور ڈیفالٹر ہونے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ٹیکسوں کو صرف 2 مہینوں کے سود کی رقم کارپوریشن کے ذریعہ دی جاتی ہے۔

لہذا، ٹیکسوں پر پڑ رہے اضافی سودی بھار اور خالص کٹوتیوں کی رقم برداشت کرتے ہوئے، ٹیکسوں کی کل بقایا تقریباً 2484 کروڑ روپے کی فوری ادائیگی کے لیے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتے ہیں۔

دستخط

ڈاکٹر سنیل کمار سنگھ، کارٹک کمار، محمد صہیب، مہیشور سنگھ،

اجے کمار سنگھ، پروفیسر سنجے کمار سنگھ

اراکین، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 15.07.2026

مکتوب نمبر: 191/2026-1852(1)

معزز اراکین، مورخہ 22.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب
(محمد صہیب)

انڈسٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

ध्यानाकर्षण

213वां सत्र

पटना नगर निगम, बांकीपुर प्रमंडल अंतर्गत वार्ड संख्या 43 में मैकडॉवेल गोलम्बर के निकट जी+1 वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जा रहा है। वहां पीआरडीए के 18 आवासीय फ्लैट स्थित है, जहां बड़ी संख्या में परिवार निवास करते हैं। उक्त स्थान पर पहले से ही एक वेंडिंग जोन मौजूद है, लेकिन आज तक वहां किसी भी ठेला विक्रेता द्वारा नियमित रूप से व्यवसाय नहीं किया गया है। प्रस्तावित वेंडिंग जोन शुरू होने पर सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्री के खराब एवं सड़े-गले अवशेष खुले में फेंके जाने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सड़क धनुष सेतु होते हुए राजेंद्र नगर की ओर जाने वाला एक अत्यधिक व्यस्त मार्ग है। यदि यहाँ नया वेंडिंग जोन बनाया जाता है, तो यातायात और अधिक प्रभावित होगा तथा सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा, इस स्थान पर पीआरडीए आवासीय फ्लैटों के बाथरूम का सीवरेज चैंबर भी बना हुआ है। ऐसे स्थान पर वेंडिंग जोन बनाना स्वच्छता और स्थानीय निवासियों के हित में उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित वेंडिंग जोन के स्थान से पीआरडीए आवास एवं आसपास की सोसाइटी के निवासियों का मुख्य आवागमन होता है। जिससे स्थानीय लोगों को घर से आने-जाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों की सुरक्षा, सुविधा एवं जनहित के दृष्टिकोण से प्रस्तावित जी+1 वेंडिंग जोन के निर्माण पर पुनर्विचार किये जाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह०/-

अनिल कुमार

स०वि०प०

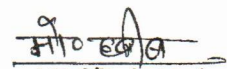
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-192/2026-1849(1)वि०प०।

दिनांक:-15.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-22.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


15.07.2026

(मो० हबीब)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्



بہار قانون ساز کاؤنسل

توجہ طلب اطلاع

عزت مآب چیرمین،

پینڈ میونسپل کارپوریشن، بانکی پور ڈویژن کے تحت وارڈ نمبر 43 میں میکڈاویل گولبر کے قریب جی+1 وینڈنگ زون کی تعمیر کرائی جا رہی ہے۔ وہاں پی۔آر۔ڈی۔اے۔ کے 18 رہائشی فلیٹس واقع ہیں، جہاں بڑی تعداد میں خاندان سکونت پذیر ہیں۔ اس مقام پر پہلے سے ہی ایک وینڈنگ زون موجود ہے، تاہم آج تک وہاں کسی بھی ٹھیلہ فروش کی جانب سے باقاعدہ طور پر کاروبار نہیں کیا گیا ہے۔ مجوزہ وینڈنگ زون شروع ہونے پر سبزیوں اور دیگر غذائی اشیاء کے خراب اور سڑے گلے فضلات کھلے میں پھینکے جانے کے باعث مقامی باشندوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ سڑک دھنوش پل کے راستے راجیندر نگر کی اور جانے والی ایک نہایت مصروف راستہ ہے۔ اگر یہاں ایک نیا وینڈنگ زون قائم کیا جاتا ہے تو ٹریفک کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا اور سڑک حادثات کے امکانات بھی کافی بڑھ جائیں گے۔ مزید برآں، اس مقام پر پی۔آر۔ڈی۔اے۔ کے رہائشی فلیٹس کے غسل خانوں سے منسلک سیوریج چیمبر بھی بنا ہوا ہے۔ ایسی جگہ پر وینڈنگ زون کا قیام صفائی اور مقامی باشندوں کے مفاد کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ، مجوزہ وینڈنگ زون کے مقام سے پی۔آر۔ڈی۔اے۔ رہائش اور اطراف کی سوسائٹیوں کے باشندوں کی بیشتر آمد و رفت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو گھر سے آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا، مذکورہ بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، مقامی باشندوں کی حفاظت، سہولت اور مفاد عامہ کے پیش نظر مجوزہ جی+1 وینڈنگ زون کی تعمیر کے فیصلے پر از سر نو غور کیے جانے کے لئے حکومت سے ایوان میں ایک واضح بیان کی مانگ کرتا ہوں۔

دستخط

اعلیٰ کمار

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 15.07.2026

مکتوب نمبر: 192/2026-1849(1)

معزز رکن، مورخہ 22.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب
14.7.26
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پینڈ



बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

213वां सत्र

नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड सं०-23, मुहल्ला-सोहनकुआँ, मुरारपुर के दक्षिण लगभग 17 (सत्रह) एकड़ क्षेत्र में हॉज-ए-बब्बर तालाब अवस्थित है। इस तालाब का जीर्णोद्धार अबतक नहीं हो पाया है। वर्तमान में चारों ओर घनी आबादी का विस्तार हो चुका है, जिसके कारण आस-पास के घरों एवं नाले का गंदा दूषित पानी सीधे इसी तालाब में गिर रहा है, इसके कारण तालाब का जल पूरी तरह दूषित हो गया है। इससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने के साथ-साथ संक्रामक रोग फैलने की आशंका है।

अतः जनहित में उक्त वर्णित तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराने, तालाब के शेष भू-भाग पर पार्क का निर्माण कराने एवं तालाब में गंदे पानी के प्रवेश को स्थायी रूप से रोक लगाने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ।

ह०/-
रीना देवी
स०वि०प०

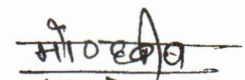
ज्ञापांक:-वि.प.अ.प्र.-207/2026-1881(1)वि०प०।

दिनांक:-16.07.2026

प्रतिलिपि:-बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/ माननीय उप मुख्यमंत्रीद्वय सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-22.07.2026 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।


15.07.2026

(मो० हबीब)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्



توجہ طلب اطلاع

بہار قانون ساز کاؤنسل

عزت مآب چیرمین،

ضلع نالندہ کے تحت بہار شریف میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 23، محلہ سوہن کنواں، مرار پور کے جنوب حصے میں تقریباً 17 (سترہ) ایکڑ رقبے میں حوض، برتالاب واقع ہے۔ اس تالاب کی مرمت اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ موجودہ وقت میں اطراف میں گنجان آبادی قائم ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں آس پاس کے مکانات اور تالوں کا آلودہ و گنداپانی براہ راست اسی تالاب میں گر رہا ہے، اس کی وجہ سے تالاب کا پانی مکمل طور پر آلودہ ہو چکا ہے۔ اس سے پورے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے اور ماحولیات پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مزید برآں، مقامی باشندوں کی صحت پر اس کے مضر اثرات مرتب ہونے کے ساتھ ساتھ متعدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا، مفاد عامہ کے پیش نظر مذکورہ تالاب کی مرمت و تزئین کاری کرانے، تالاب کے باقی ماندہ رقبے پر پارک کی تعمیر کرانے اور تالاب میں گندے پانی کے داخلے کو مستقل طور پر روکنے کے لیے حکومت سے ایوان میں واضح بیان کی مانگ کرتی ہوں۔

دستخط

رینادیوی

رکن، قانون ساز کاؤنسل

مورخہ: 16.07.2026

مکتوب نمبر: 207/2026-1881(1)

معزز رکن، مورخہ 22.07.2026 کو بہار قانون ساز کاؤنسل میں حکومت کی توجہ مبذول کریں گے۔

محمد حبیب
(محمد حبیب)

انڈر سکرٹری

بہار قانون ساز کاؤنسل، پٹنہ



बिहार विधान परिषद्

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न आगामी वृहस्पतिवार, तिथि 01 श्रावण, 1948(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे। 23 जुलाई, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
50.	1/213/45	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	अनुशंसित योजनाओं की समय सीमा	योजना एवं विकास
51.	1/213/50	डा० संजीव कुमार सिंह स.वि.प.	शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
52.	1/213/70	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	अपराध के आंकड़ों में वृद्धि	गृह

53.	1/213/83	श्रीमती शशि यादव स.वि.प.	भौतिक संसाधन उपलब्ध	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण
54.	1/213/135	श्री सैयद फैसल अली स.वि.प.	मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना	युवा रोजगार एवं कौशल विकास
55.	1/213/190	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	नहर का पक्कीकरण	जल संसाधन
56.	1/213/194	श्री राजीव कुमार ऊर्फ गण्णू बाबु स.वि.प.	बस स्टैंड का उन्नयन	परिवहन
57.	1/213/197	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	महिला पुलिस कर्मि की तैनाती	गृह
58.	1/213/217	श्री सोनु कुमार राय स.वि.प.	डेढुआ नहर पंप निर्माण	जल संसाधन
59.	1/213/246	श्री महेश्वर सिंह स.वि.प.	बस का परिचालन	परिवहन
60.	1/213/285	श्रीमती शिवरानी देवी स.वि.प.	थारू जनजाति की बेटियां	गृह
61.	1/213/325	श्री अफाक अहमद खां स.वि.प.	बारसोई कब्रिस्तान की घेराबंदी	तदैव
62.	1/213/344	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	जाम की समस्या का समाधान	तदैव
63.	1/213/369	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई	तदैव
64.	1/213/383	श्री दिलीप कुमार सिंह स.वि.प.	भवन का निर्माण	समाज कल्याण

65.	1/213/477	श्री अनिल ठाकुर स.वि.प.	मूलभूत सुविधा	परिवहन
66.	1/213/512	श्री विजय कुमार सिंह स.वि.प.	नये भवन का निर्माण	गृह
67.	1/213/546	श्री नवल किशोर यादव स.वि.प.	साइबर फ्रॉड	तदैव
68.	1/213/554	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	आदेश का सख्ती से अनुपालन	तदैव
69.	1/213/51	डा० संजीव कुमार सिंह स.वि.प.	अपराधियों का पता लगाना	तदैव
70.	1/213/92	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी स.वि.प.	बंद पड़े केन्द्रों को चालू करना	युवा रोजगार एवं कौशल विकास
71.	1/213/261	श्रीमती शशि यादव स.वि.प.	पदों का पुनः सृजन करना	समाज कल्याण
72.	1/213/326	श्री अफाक अहमद खां स.वि.प.	चेक डैम का निर्माण	लघु जल संसाधन
73.	1/213/345	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम	परिवहन
74.	1/213/399	श्रीमती शिवरानी देवी स.वि.प.	उड़ाही कर जल संचय	लघु जल संसाधन
75.	1/213/438	श्री राजीव कुमार ऊर्फ गप्पू बाबु स.वि.प.	नहर पटरी का कालीकरण	जल संसाधन
76.	1/213/440	श्री सोनु कुमार राय स.वि.प.	पुल का निर्माण	तदैव
77.	1/213/459	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह स.वि.प.	रिंग बस सेवा	परिवहन

78.	1/213/472	श्री दिलीप कुमार सिंह स.वि.प.	आहर पिंड का जीर्णोद्धार	लघु जल संसाधन
79.	1/213/572	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	संकल्प का अनुपालन	वित्त

शंकर कुमार
20.07.2026
(शंकर कुमार)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:- वि.प.प्र.- 22/2025/ 394/50 वि.प.,दिनांक- 21.7.2026
प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उपमुख्यमंत्री
द्वय, बिहार / माननीय मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव,
बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं
विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संदीप शंकर
20.07.2026
(संदीप शंकर)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्
नीरज प्रकाश



बिहार विधान परिषद्

तारांकित प्रश्नों की सूची

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न आगामी वृहस्पतिवार, तिथि 01 श्रावण, 1948(श.) को बिहार विधान परिषद् के कार्यक्रम पर अंकित रहेंगे।

23 जुलाई, 2026 ई.

क्रम संख्या	प्रश्नों की नेवा संख्या	प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4	5
56.	1/213/11	डॉ० अजय कुमार सिंह स.वि.प.	जमीन निबंधन शुल्क	मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन
57.	1/213/14	श्री सौरभ कुमार स.वि.प.	अवैध पार्किंग पर कार्रवाई	परिवहन
58.	1/213/46	श्री कुमार नागेन्द्र स.वि.प.	सिंचाई एवं पेयजल की समस्या	जल संसाधन
59.	1/213/82	श्रीमती शशि यादव स.वि.प.	पारिश्रमिक भुगतान	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण

60.	1/213/106	श्री महेश्वर सिंह स.वि.प.	अपराधों पर नियंत्रण	गृह
61.	1/213/115	डा० उर्मिला ठाकुर स.वि.प.	भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का नाम पुनः अंकित	योजना एवं विकास
62.	1/213/130	प्रो० संजय कुमार सिंह स.वि.प.	समस्याओं का निराकरण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
63.	1/213/181	श्री अशोक कुमार स.वि.प.	नदियों को अतिक्रमण मुक्त	जल संसाधन
64.	1/213/193	श्री राजीव कुमार ऊर्फ गप्पू बाबु स.वि.प.	बसों का संचालन	परिवहन
65.	1/213/204	श्री सोनु कुमार राय स.वि.प.	जे. पी. सेनानियों को पेंशन	गृह
66.	1/213/228	श्रीमती निवेदिता सिंह स.वि.प.	पुल का निर्माण	जल संसाधन
67.	1/213/230	श्री जीवन कुमार एवं श्रीमती रीना देवी स.वि.प.	कक्षाओं का समय- सारणी	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
68.	1/213/252	श्री अफाक अहमद खां स.वि.प.	पीरवां कब्रिस्तान की घेराबंदी	गृह

69.	1/213/288	श्री सर्वेश कुमार स.वि.प.	CSR पोर्टल का संचालन	वित्त
70.	1/213/300	श्री हरी सहनी स.वि.प.	अवैध जबरन राशि पर रोक	परिवहन
71.	1/213/321	श्री वंशीधर ब्रजवासी स.वि.प.	अधिकतम आयु सीमा	योजना एवं विकास
72.	1/213/323	श्री नवल किशोर यादव एवं श्री जीवन कुमार स.वि.प.	स्थानांतरण रद्द कबतक	लघु जल संसाधन
73.	1/213/356	श्री अशोक कुमार पान्डेय स.वि.प.	बांध का पक्कीकरण	जल संसाधन
74.	1/213/358	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह स.वि.प.	पईन का स्थायी समाधान	लघु जल संसाधन
75.	1/213/374	श्री आफाक अहमद स.वि.प.	अभ्यावेदन आधारित स्थानान्तरण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
76.	1/213/379	श्री दिलीप कुमार सिंह स.वि.प.	निबंधन शिविर का आयोजन	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण
77.	1/213/401	श्री संतोष कुमार सिंह स.वि.प.	आर्म्स लाइसेंस निर्गत	गृह
78.	1/213/429	श्री संजय सिंह स.वि.प.	कार्य योजना तैयार	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

79.	1/213/469	डा० भारती मेहता स.वि.प.	अद्यतन विवरण	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
80.	1/213/498	श्री घनश्याम ठाकुर स.वि.प.	कटाव की रोकथाम	जल संसाधन
81.	1/213/509	श्री बिनोद कुमार जायसवाल स.वि.प.	ओ०पी० थाना की स्थापना	गृह
82.	1/213/513	मोहम्मद खालीद अनवर स.वि.प.	कब्रिस्तान की घेराबंदी	तदैव
83.	1/213/573	श्री तरूण कुमार स.वि.प.	नलकूप एवं नाले का निर्माण	लघु जल संसाधन

शंकर कुमार
20.7.2026
(शंकर कुमार)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक:- वि.प.प्र.- 22/2025/ 395 (5)

वि.प., दिनांक- 21.7.2026

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उपमुख्यमंत्री, बिहार / माननीय मंत्रीगण / राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना / लोकायुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना तथा सचिवालय के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संदीप शंकर
20.07.2026
(संदीप शंकर)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्
जीएन प्रकाश